

II/विग्रह/रीवा/2018/01870

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल अध्यक्षवा तियर. लखि म कोर्ट रीवा

राजो निगरानी क्र/ /018



श्रीमताचरण बाजोयी तनय स्व0 श्री अनन्दी प्रसाद बाजोयी उम्र-56 वर्ष पेशा-खेती  
निवासी ग्राम रतहरा तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

आदेश श्री उस्तादकुमारी  
द्वारा चेन्ना/20-3-18

बनाम

----- आवेटक

कलकत्ता कोर्ट  
राजस्व मंडल नं0 110 रीवा  
(सुप्रीम कोर्ट, रीवा)

01- गोपीदार पटवारी इलका 207 बटाराव गौतमान तहसील सिरमौर  
जिला रीवा, म0प्र0.

----- अनावेटकण

02- शासन म0प्र0

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अमर जिलायक्ष  
महोदय रीवा जिला रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण  
क्र0 136/अ-19/निगरानी/2009-09 दिनांक  
12.02.018 में पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0  
1959ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-  
-----xx-----xx-----

101] यहकि निर्णय व आदेशअधीनस्थ न्यायालय अनियमित अवैध व त्रुटिपूर्ण  
होने के कारण निरस्त किएजाने योग्य है ।

102] यहकि ग्राम डिहिया तह0 सिरमौर जिला रीवा की भूमि नं0-83/1,

निरंतर....

गया चरण बाजोयी

II/निग0/रीवा/2018/01870


(284)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण मांक. II / निग0 / रीवा / 2018 / 01870

जिला रीवा

श्री गयाचरण बाजपेयी / चौकीदार पटवारी

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सनत कुमार चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 136/निगरानी/अ-19/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 12.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



गया चरण बाजपेयी